

## प्रेस विज्ञप्ति

क.भ.नि.सं. ने सितंबर 2014 में 12.28 लाख दावों का निपटान किया

74% क.भ.नि.सं. दावे 10 दिन के भीतर निपटाए गए

यू.ए.एन. आबंटन की प्रगति पूरे जोरों पर

3.67 करोड़ के.वाई.सी. रिकार्ड एकत्रित किए गए,

मुख्यालय, नई दिल्ली : श्री के.के. जालान, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने क.भ.नि.सं. के निष्पादन की समीक्षा करते हुए कहा कि संगठन ने सितंबर, 2014 में 12.28 लाख दावों का निपटान किया। उल्लेखनीय है कि इनमें से 74% को 10 दिन के भीतर तथा लगभग 99% को 30 दिन की अनिवार्य सीमा के भीतर निपटाया गया। इस प्रकार, वर्तमान वित्तीय वर्ष में निपटाए गए दावों की कुल संख्या बढ़कर 66.11 लाख तक पहुंच गई है। साथ ही, सितंबर के अंत तक, क.भ.नि.सं. अपने लेखा कार्यभार के संबंध में 97.7% वार्षिक लेखों का समेकन करने में समर्थ हो गया है।

क.भ.नि.सं. के इतिहास में सितंबर माह एक मील का पत्थर साबित हुआ है क्योंकि क.भ.नि.सं. द्वारा प्रशासित क.पे.यो., 1995 के अंतर्गत 1000/- रु. की न्यूनतम पेंशन शुरू करने के लिए 30 सितंबर को देशभर के क.भ.नि.सं. कार्यालयों में समारोह आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों को "पेंशनभोक्ता सम्मान कार्यक्रम" का नाम दिया गया तथा 34 स्थानों पर आयोजित इन कार्यक्रमों की माननीय अध्यक्ष, लोकसभा तथा केन्द्रीय मंत्रियों ने शोभा बढ़ाई। इस बात को सुनिश्चित करने के भी प्रयास जारी हैं कि 1000/- रु. की यह न्यूनतम पेंशन केवल इसी वित्तीय वर्ष तक सीमित न रहे बल्कि आने वाले वर्षों में भी जारी रहे।

माह के दौरान यूनिवर्सल अकाउंट संख्या (यू.ए.एन.) के आबंटन तथा के.वाई.सी. विवरण को कैप्चर करने की प्रक्रिया पूरे जोर शोर से जारी रही तथा सितंबर के अंत तक 3.67 करोड़ के.वाई.सी. रिकार्ड को एकत्रित किया गया। साथ ही, पहली बार कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम एवं योजनाओं के अंतर्गत आने वाले नए कर्मचारियों को यू.ए.एन. के आबंटन की भी शुरुआत की गयी।

नई निधि प्रबंधन प्रणाली (एन.एफ.एम.एस.) जो कि भविष्य निधि तथा पेंशन निधि खातों पर ही लागू थी, उसे बीमा निधि पर भी लागू किया गया। इस प्रणाली के अंतर्गत, मुंबई स्थित केन्द्रीय निवेश लेखों में निवेश करने के लिए क.भ.नि.सं. के प्रत्येक फील्ड कार्यालय में अंशदान लेखे के शेष को स्थानीय कार्यालय के लेखों में कुछ समय तक संचित रहने देने की बजाय प्रतिदिन निवेश लेखे में अंतरित किया जाता है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि निधि बैंकर के पास बेकार नहीं पड़ी है बल्कि बेहतर रिटर्न प्राप्त करने के लिए इसका जल्द से जल्द निवेश किया जा रहा है।

माह के दौरान, सेवा में सुधार करने के उद्देश्य से क.भ.नि.सं. के वर्तमान कार्यालयों के भीतर विशिष्ट कार्पोरेट कार्यालयों के सृजन हेतु दिशा-निर्देश बताने के लिए विशेष निदेश जारी किए गए। साथ ही, केन्द्रीय विश्लेषण एवं आसूचना इकाई (सी.ए.आई.) को क्रियान्वित करने हेतु फील्ड कार्यालयों द्वारा प्राप्त शिकायतों को भेजने के लिए विशिष्ट रीति तथा तंत्र का उल्लेख करते हुए निदेश जारी किए गए। इससे बेहतर पारदर्शिता लाने की संभावना है तथा जहां तक शिकायतों की जांच तथा अभियं कार्रवाई का संबंध है, काफी हद तक फील्ड कार्यालय इसे स्वनिर्णय से कर सकेंगे।

ग्राहक संतुष्टि एवं शिकायत निपटान जिसे क.भ.नि.सं. ने पिछले वर्ष सबसे अधिक महत्व दिया था, उस पर ध्यान केन्द्रित रखते हुए, माह में 16000 शिकायतों का निपटान किया गया तथा केवल 4600 शिकायतें लंबित थीं एवं यह नोट किया गया कि इनमें से 77% शिकायतें 15 दिन से भी कम समय तक लंबित थीं।